

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 894

दिनांक 08/04/24

अनवान :-

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
अमीन	बनाम	कादर वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं.187/2023

दिनांक : 04.04.2024

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र ईटादा के मौजा सुथारों का तला के खेत खसरा सं. 116 रकबा क्रमशः 07.7780 हैकटर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है ।
प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 895 to 898

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थी अमीन
3. विप्रार्थीगण कादर वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चौहटन
दिनांक 08/04/2024



(सूरजभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन